

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : प.4(1)(3) नपा/रानिआ/2026/8657

दिनांक : 11-9-26

आदेश

वर्तमान में नगरीय निकायों के आम चुनाव, 2026 की आर्दश आचरण संहिता दिनांक 19.08.2026 से प्राभावी है। राज्य के समस्त विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण इनको नियुक्ति/पदस्थापन के संबंध में शिथिलन/अनुमति हेतु प्रकरण प्राप्त हुए हैं।

अतः समस्त विभागों में प्रक्रियाधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति/पदस्थापन की अनुमति प्रदान की जाती है।


(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक : प.4(1)(3) नपा/रानिआ/2026/8658-60

दिनांक : 11-9-26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव